<u>उत्तर प्रदेश शासन</u>

<u>पर्यटन अनुभाग</u>

<u>संख्या-189/2021/777/41-2022-08(बजट)/2022 टी0सी0</u>

लखनऊ दिनांक 29 मार्च, 2022

संख्या-156/2022/765/41-2022-08(बजट) टी0सी0, दिनांक 26.03.2022

<u>का शुद्धि पत्र</u>

महानिदेशक, पर्यटन के पत्र संख्या-8474/मु0प0सं0यो0 (40)/2021, दिनांक 28 मार्च, 2022 द्वारा संसूचित वस्तुस्थिति के अनुसार मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र-रामपुर खास स्थित बाबा घुइसर नाथ धाम के पर्यटन विकास कार्य के अन्तर्गत स्वीकृत योजना की जी0एस0टी0, सेन्टेज एवं लेबर सेस मद की अवशेष धनराशि की स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-156/2022/765/41-2022-08(बजट) टी0सी0, दिनांक 26.03.2022 के पृष्ठांकन के क्रम सं0-4 में मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ अंकित किया गया है, जबकि इसके स्थान पर आदर्श कोषागार कलेक्टेट्र भवन, लखनऊ अंकित होना चाहिए था।

2. अत: एतद्वारा शासनादेश संख्या-156/2022/765/41-2022-08(बजट) टी0सी0, दिनांक 26.03.2022 के पृष्ठांकन के **क्रम सं0-4** पर अंकित **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ** के स्थान पर **मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार लखनऊ** अंकित किया जाता है। तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक 26.03.2022 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- **मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार लखनऊ**
6- सुश्री प्रीति श्रीवास्तव, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
9- सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धकगण, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
11- सम्बन्धित उप निदेशक, पर्यटन/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारीगण।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in